महत्वपूर्ण एवं खास

गैंगरेप के आरोपी ने फांसी लगाकर दी जान

रायगढ़ (आरएनएस)। सारंगढ़ उप जेल में विचाराधीन कैदी 40 खीरोंदर उर्फ ओड़िया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक नुनिया जामपाली थाना बरगढ़ ओडिशा राज्य निवासी बताया गया है। उसे पिछले साल 10 नवंबर को ही सारंगढ उप जेल में गैंगरेप के आरोप में लाया गया था। बताया जा रहा है कि 17 जनवरी को ही उसे कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर सारँगढ़ उप जेल के सेल नम्बर 3 में ,,, रखा गया था। जिसके बाद 18 जनवरी की रात लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच अपने कपड़े के गमछे का फंदा बनाकर फाँसी लगा ली। उसने फांसी क्यों लगाई पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है। उल्लेखनीय है कि 6 महीने के भीतर ही सारंगढ़ उपजेल में फाँसी का यह दूसरा मामला है।

प्रदेश में बढ़ी ठंड, रात का तापमान 4 डिग्री लुढ़का

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में उत्तर से ठंडी हवाओं का आना लगातार जारी है। इससे प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में सबसे कम तापमान बलरामपुर में 4.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग की माने तो अभी रात के तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहेगा। राजधानी में रात का तापमान 13.2 रहा। वहीं अधिकतम तापमान में भी दो से तीन डिग्री तक वृद्धि दर्ज की गई।

विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार आगामी सप्ताह में होगा

रायपुर (आरएनएस)। रेडक्रॉस सोसायटी, रायपुर द्वारा विभिन्न पदों के लिये 19 जनवरी को जिला रेडक्रॉस सोसायटी सभागार, कलेक्टर परिसर, घड़ी चौक के पास, रायपुर में आयोजित साक्षात्कार आगामी सप्ताह में आयोजित की जायेगी। साक्षात्कार की आगामी तिथि की सूचना का प्रकाशन जिले की वेबसाइट में किया जायेगा।

महिला आयोग की सचिव समेत बदले गए 10 अफसर

रायपुर (आरएनएस)। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 10 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। इसमें महिला आयोग की सचिव अनीता अग्रवाल को राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र में उप संचालक बनाया गया है। उनकी जगह कोरबा के जिला कार्यक्रम अधिकारी आनंद किस्पोट्टा को महिला आयोग का सचिव बनाया गया है। रायपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय को गरियाबंद में पदस्थ किया है और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहायक संचालक शैल ठाकुर को रायपुर का प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त सचिव पीएस ध्रुव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक गरियाबंद की जिला कार्यक्रम अधिकारी जगरानी एक्का को धमतरी, इंद्रावती भवन में पदस्थ उप संचालक वरुण नागेश को दंतेवाड़ा, धमतरी के जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एमडी नायक को कोरबा, दंतवाड़ा के जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बृजेन्द्र सिंह ठाकुर को बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बिस्मिता पाटले को सुकमा और सुरेश सिंह का मुंगेली में पदस्थ किया गया है।

सरिया क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग बालिका ओडिशा में मिली

» ओडिशा से भी बालिका को लेकर भागने की फिराक में थे आरोपी पति-पत्नी

रायगढ़। महिला संबंधी अपराधों में पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी लखन पटले, एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात पटेल के मार्गदर्शन पर सभी थाना, चौकियों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 18.01.2022 को गुम नाबालिग बालिका की पतासाजी में लगे थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक के.के. पटेल द्वारा ओडिशा के भीष्मकटक जाकर नाबालिग को आरोपी दम्पत्ति के कब्जे से दस्तयाब कर रायगढ़ लाया गया। बालिका के कथन पर आरोपी युवक पर दुष्कर्म एवं आरोपी की पत्नी पर अपराध में सहयोग करना पाये जाने पर पोक्सो एक्ट की धारा विस्तारित कर आरोपीगण को रिमांड पर भेजा गया है।

बालिका के गुम के संबंध में दिनांक 03.01.2022 को थाना सरिया में उसके परिजन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 02-03/01/2022 की दरम्यानी रात बालिका बिना बताये घर से कहीं चली गई है। परिजन द्वारा ग्राम हिर्री के सब्बीर निराला पर नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने की शंका व्यक्त किया गया था जिस पर संदेही के विरूद्ध अप.क्र. 04/2022 धारा 363 आईपीसी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

गुम नाबालिग के मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सरिया द्वारा लगातार संदेही एवं बालिका की पतासाजी किया जा रहा था जिसके ओडिशा के भीषमकटक के चांटीकोना क्षेत्र में मकान किराया लेकर रहने की सूचना पर पुलिस टीम बालिका के परिजन को साथ लेकर भीषमकटक रवाना हुई। सरिया पुलिस के आने से पहले संदेही व बालिका दोनों किराया मकान (झुग्गी) से भाग गये थे, थाना प्रभारी सरिया द्वारा स्थानीय सूत्रों की मदद से संदेही एवं बालिका का पता लगाया गया जिनके रेल्वे स्टेशन भीषमकटक के पास देखे जाने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम भीष्मकटक रेल्वे स्टेशन पहुंची, जहां संदेही सब्बीर निराला, उसकी पत्नी अंजलि निराला के कब्जे में अपहृत बालिका मिली जिसकी दस्तयाबी कर आरोपीगण को लेकर थाना लाया गया।

बालिका अपने कथन में बताई कि गांव के समीप मेला में सब्बीर उसे मिला था, सब्बीर अपने आपको अविवाहित होना बताकर शादी का प्रलोभन देकर दिनांक 02-03/01/2022 की रात भगाकर भीष्मकटक के चांटीपाली में झुग्गी किराये पर लेकर रखा था, जहां शारीरिक संबंध बनाया , उसके करीब एक सप्ताह बाद अपनी पत्नी को चांटीपाली बुलाया, उसकी पत्नी नाबालिग होना जानते हुए सब्बीर का सहयोग करती थी। दोनों भीष्मकटक से कहीं और लेने वाले थे। बालिका के कथन, मेडिकल के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376, 368, 506, 34 भा0द0वि0 एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी सब्बीर निराला पिता तुलाराम उम्र 24 वर्ष साकिन हिर्री थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़ एवं उसकी सहयोगी पत्नि अंजलि निराला पति शब्बीर निराला उम्र 21 वर्ष साकिन हिर्री थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़ को दिनांक 18/01/2021 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल, प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर पंडा, आरक्षक विपिन डेहरी की सराहनीय भूमिका रही है।

प्लेसमेंट कैम्प में अब तक 2643 आवेदकों का हुआ चयन

रायगढ़। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ द्वारा स्थानीय आवेदकों के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। योजना के अनुसार निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित नियोजकों से उनके संस्थान /फर्म में उपलब्ध कार्यो के अनुसार रिक्तियों की जानकारी एकत्रित की जाती है और रोजगार मेला/प्लेसमेंट स्थल में ही नियोजक प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं की संस्थान/फर्म के अनुसार योग्य आवेदकों का चयन किया जाता है।

प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से बीते चार सालों में कुल 2643 आवेदकों का चयन किया गया है। जिसमें वर्ष 2017-18 में 758, 2018-19 में 1153, 2019-20 में 278 तथा वर्ष 2020-21 में 454 पात्र आवेदकों का चयन किया गया है।

कैरियर मार्गदर्शन का आयोजन

जिले में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं आईटीआई, पालीटेक्निक तथा महाविद्यालय में अध्ययनरत/ प्रशिक्षणरत छात्र-छात्राओं को विद्यार्थी जीवन में ही कैरियर की जानकारी दिया जाना अति आवश्यक है। अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को विषय के अनुकूल रोजगार-स्वरोजगार में स्थापित होने बाबत् कैरियर मार्गदर्शन का आयोजन संस्था के परिसर में आयोजित किया जाता है। इस योजना के तहत शैक्षणिक योग्यतानुसार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा तथा पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी जाती है।

चोरी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

» आरोपी ने अपने साथियों के साथ की थी निर्माणाधीन पानी टंकी से छड़ व पाईप की चोरी

रायगढ़। दिनांक 15.01.2022 के सुबह रिपोर्टकर्ता समर प्रताप भदौरिया निवासी खरसिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि जल जीवन योजनांतर्गत पी.एच.ई. विभाग घरघोड़ा द्वारा ग्राम पतरापाली फगुरम में उच्चस्तरीय पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है , जहां दिनांक 13.01.2022 के दरम्यानी रात कोई अज्ञात चोर बेलचा, तार, क्यूब, सरिया, रिंग को चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 11/2022 धारा 379 भा.द.वि. कायम कर थाना प्रभारी घरघोड़ा द्वारा माल मुल्जिम की पतासाजी के लिये अपने स्टाफ को मुखबिर से जानकारी लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर गवाहों व ग्रामवासियों से पूछताछ कर चोरी की सम्पत्ति की छानबीन करते हुए 02 अपचारी बालकों को हिरासत में लेकर बारिकी से पूछताछ किया गया जो अपने साथी राजकुमार महंत के साथ घटना कारित करना स्वीकार कर दोनो विधि के साथ संघर्षरत बालक घरघोड़ा थाना क्षेत्रा के निवासी हैं जिनके मेमोरेडंम पर अपहृत संपत्ति 03-03 बंडल छड एवं अन्य सामान जुमला कीमती 38300 रूपये का जप्त कर महज 05 घंटे के भीतर अपहृत संपत्ति को बरामद कर विधि के साथ संघर्षरत अपचारी बालकों को धारा 379,34 भा.द.वि. के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। घटना बाद से फरार सह-आरोपी राजकुमार महंत पिता मंगलदास महंत उम्र 18 वर्ष निवासी कारीछापर थाना घरघोड़ा को ग्राम कारीछापर से पकड कर पूछताछ किया गया जो अपने दोनों साथियों के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपी के मेमोरेंडम पर एक नई पाइप बंडल व ड्रिल मशीन की जब्ती पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

पंचायत निर्वाचन के लिए आज सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा मतदान, बनाए गए 99 मतदान केन्द्र

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के निर्वाचन के लिए 20 जनवरी 2022 को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान संपन्न होगा। मतदान के तुरंत पश्चात मतगणना की जाएगी।

जिला पंचायत सदस्य हेतु जनपद पंचायत धरमजयगढ़ अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 25 के लिए कुल 3 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। जिनमें बलवन्त तिग्गा, नृपलाल राठिया एवं स्वराज रोहिणी प्रताप सिंह राठिया शामिल है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 11 जगहों के लिए नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2 निर्विरोध एवं 9 सविरोध है। इसी प्रकार पंच पद के लिए 92 स्थानों के लिए नामिनेशन भरे गए थे। जिनमें 82 निर्विरोध एवं 10 सविरोध है।

जिले में कुल 99 मतदान केन्द्र बनाए गए है। जिसमें रायगढ़ में 6, बरमकेला में 3, सारंगढ़ में 10, खरसिया में 2, तमनार में 2, लैलूंगा में 3 एवं धरमजयगढ़ में 73 मतदान केन्द्र बनाए गए है। इन स्थानों पर सुबह 07 से अपरान्ह 03 बजे तक मत डाले जाएंगे। मतदान समाप्ति के पश्चात मतगणना की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट)कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईआर-ईआर द्वारा ऑनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची शामिल है।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को एट्रोसिटी व पास्को एक्ट की धाराओं में फास्ट ट्रेक कोर्ट दी गई कठोर सजा

» गैंगरेप, पोक्सो एक्ट में आरोपियों को जीवन पर्यन्त रहना होगा जेल की कैद में

रायगढ़। दिनांक 17.01.2022 को रायगढ़ फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश श्रीमती पल्लवी तिवारी द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपी चंद्रकांत निषाद उर्फ बाबू एवं परमेश्वर सारथी उर्फ कुणाल को सामुहिक बलात्कार, पोक्सो एक्ट, एक्ट्रोसिटी की धाराओं में दोषी पाते हुए अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास सजा सुनाते हुए पारित आदेश में आजावीन कारावास का अभिप्राय शेष प्राकृत जीवन काल होगा उल्लेख किया गया है अर्थात आरोपियों को जीवन पर्यंत जेल में कैद रहेंगे। थाना कोतवाली रायगढ़ के मामले की विवेचना तत्कालिक नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह ठाकुर द्वारा की गई है जिसमें माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनमोहन सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी की गई है।

थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 172/2019 धारा 363 भादवि के अपराध में नाबालिग बालिका को आरोपी चंद्रकांत निषाद उर्फ बाबू पिता लक्ष्मी प्रसाद निषाद उम्र 21 वर्ष निवासी इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 8 एवं परमेश्वर सारथी उर्फ कुणाल पिता समीर सारथी उम्र 22 वर्ष निवासी जोगीडीपा वार्ड क्रमांक 11 थाना कोतवाली रायगढ़ द्वारा दिनांक 3 2019 की शाम बालिका को विधिपूर्ण संक्षरक की सहमति बिना बहला-फुसलाकर भगाकर झाड़सुगुड़ा और उसके बाद राऊलकेला (उड़ीसा) ले जाकर आरोपीगण द्वारा उसका शारीरिक संभोग (सामूहिक बलात्कार) कार्य किए। प्रकरण में बालिका की दस्तयाबी, मेडिकल , चाइल्ड लाइन से कथन उपरांत प्रकरण में धारा 366, 506(बी), 376 (घ) (क) एवं लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 विस्तारित की गई है। मामले की प्रारंभिक विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक डीके मारकंडे द्वारा की गई। प्रकरण में बालिका का जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार अधिनियम की धारा 3(2)वी विस्तारित किए जाने पर तत्कालिक नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह ठाकुर द्वारा प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपियों के विरूद्ध धारा 363, 366, 506(बी), 376 (घ) (क) भादवि एवं 6 पोस्को एक्ट के तहत चालान न्यायालय पेश कराया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध संकलित साक्ष्य माननीय न्यायालय में आरोपियो को कड़ी सजा दिलाने अहम साबित हुई। माननीय न्यायाधीश द्वारा अभियोजन की ओर से पेश किये गये साक्ष्यों, दलिलों पर सभी धाराओं में दोषी करार दिया गया है। पारित आदेश अनुसार आरोपियों को धारा 363 भादवि में 7 साल सजा 5 हजार रूपये का अर्थदंड, 366 भादवि में 10 साल सजा 7 हजार रूपये का अर्थदंड, 376 (घ) (क) भादवि में आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा एवं 25 हजार रूपये का अर्थदंड, धारा 506(बी) भादवि में 3 साल सजा 2 हजार रूपये का अर्थदंड, 6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा एवं 25 हजार रूपये का अर्थदंड, 3(2)वी एट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 25 हजार रूपये का अर्थदंड के दंड से दंडित किया गया है।

कलेक्टर ने सौंपा भूतपूर्व सैनिक हवलदार पॉल एक्का को 50 हजार रुपये का चेक

» आर्थिक सहायता के लिए रेडक्रास से दी गई राशि

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज अपने कक्ष में भूतपूर्व सैनिक हवलदार पॉल एक्का को रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि के रूप में 50 हजार रुपये का चेक प्रदान किए। ज्ञात हो कि धरमजयगढ़ निवासी भूतपूर्व सैनिक हवलदार पॉल एक्का का खेत में काम करने के दौरान काटा लगने के कारण इंफेक्शन हो जाने पर उनका पैर काटना पड़ा और इलाज के दौरान उनके द्वारा काफी रुपये खर्च हो चुका था। उन्होंने आर्थिक सहायता राशि के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के मार्फत से कलेक्टर सिंह के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था।

जिले में 41 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की हुई खरीदी

» 80 हजार 396 कृषकों को 746 करोड़ से अधिक का हुआ भुगतान

रायगढ़। विपणन वर्ष 2021-2022 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जिले में सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। धान खरीदी के लिए जिले में 143 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से किसानों के धान का उपार्जन किया जा रहा है। उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं सुरेन्द्र कुमार गोंड़ ने बताया कि विपणन वर्ष 2021-2022 में समर्थन मूल्य पर 143 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से अब तक कुल 41 लाख 311.60 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। जिसमें से 23 लाख 86 हजार 5.60 क्विंटल धान का उठाव मिलरों द्वारा किया जा चुका है और 66 हजार 126 क्विंटल धान संग्रहण केन्द्रों को प्रदान किया

जा चुका है। अपेक्स बैंक के अधिकारी सोढ़ी ने बताया कि धान विक्रय कर चुके 80 हजार 396 किसानों को धान की 746 करोड 19 लाख 87 हजार की राशि का भुगतान किया जा चुका है। किसानों की धान ब्रिकी की राशि 2-3 दिनों में पी.एफ.एम.एस के माध्यम से किसानों के द्वारा दिए गए खाते में समय पर जमा हो रही है। इसके साथ ही अपेक्स बैंक के माध्यम से किसानों के डिमांड के अनुसार राशि भी प्रदान किया जा रहा है। धान विक्रय की राशि समय से प्राप्त होने से किसानों में उत्साह है।

जिले में इस वर्ष किसानों की सुविधा के लिए नवीन उपार्जन केन्द्र प्रारंभ किए गए है। धान बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो इसके लिए सभी उपार्जन केन्द्रों में पेयजल, बैठक, शौचालय आदि व्यवस्थाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। साथ ही धान ब्रिकी के लिए किसानों की सुविधा के लिहाज से टोकन पहले काटा जा रहा है एवं समय में धान तौलाई का कार्य करवाया जा रहा है। उपार्जन केन्द्रों में बारदाने की भी पर्याप्त व्यवस्था होने से किसानों को किसी प्रकार दिक्कत नहीं हो रही है। जिससे किसान अपना धान समय में बेच रहे एवं राशि मिलने से उत्साहित है।

माजदा वाहन के चालक और खलासी से लूटपाट करने वाले आरोपी गिरफ्तार

» रात आरोपियों ने दिया था घटना को अंजाम, आरोपियों से लूट की गई मोबाइल और नगदी रकम बरामद

रायगढ़। दिनांक 18.01.2022 की रात्रि हाइवे पर ढाबा के सामने माजदा वाहन के चालक और खलासी से मोबाइल और रूपये की लूटपाट करने वाले आरोपीगण को घटना की सूचना के बाद क्षेत्र में छापेमारी पर टीआई अमितसिंह द्वारा हिरासत में लिया गया है। आरोपियों से लूट में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं लूट की गई मोबाइल और 1000 रूपये नकद बरामद किया गया है, आरोपीगण को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

घटना के संबंध में दिनांक 18.01.2022 के सुबह वाहन चालक आशीष ठाकुर पिता काली चरण ठाकुर उम्र 26 वर्ष निवासी दुर्ग भिलाई इंदरा नगर चिखली थाना जेवरा सिरस जिला दुर्ग थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 17.01.22 को खलासी लखन यादव के साथ रांची से माजदा वाहन क्रमांक सीजी 07- बीएच 5207 को लेकर भिलाई आ रहे थे कि नवापारा टेण्डा छाल रोड घाट पर रात्रि करीब 00:30 बजे (दिनांक 18.01.2022) साहू ढाबा के पहले पीछे तरफ से मोटर सायकल क्रमांक सीजी 13 ए.पी. 7946 में दो व्यक्ति आये और अपने मोटर सायकल को माजदा वाहन के सामने अडाकर दोनो उतरे और डण्डा एवं हाथ मुक्का से मारपीट कर पर्स एवं आसुस कंपनी के मोबाईल कीमती 12,000 रू. को छिन कर मोटर

सायकल से भाग गये। वाहन चालक के रिपोर्ट पर मोटर सायकल चालक एवं उसके साथी के विरूद्ध अप.क्र. 12/2022 धारा 394, 34 आईपीसी दर्ज कर पतासाजी में लिया गया।

लूटपाट की गंभीर वारदात पर तत्काल टीआई अमित सिंह द्वारा पीडित ड्रायवर और खलासी से जानकारी लेकर साहू ढाबा जाकर संचालक एवं वहां काम करने वालों से आरोपियों के संबंध में पूछताछ करने पर मोटरसाइकिल चालक और उसके साथी को घरघोड़ा के रहने वाले बताये। टीआई अमित सिंह द्वारा अपने स्टाफ को मोटरसाइकिल सीजी 13 एपी 7946 के चालक की पतासाजी में लगाया गया। पता तलाश पर मोटर सायकल घरघोड़ा के महावीर सोनवानी का पता चला, महावीर सोनवानी का पता तलाश कर हिरासत में लिया गया जिससे बारीकी से पूछताछ करने पर अपने साथी विकास उर्फ गोलू के साथ मालदा वाहन को लूट करने का योजना बनाकर वाहन का पीछा करते हुए टेंडा नवापारा के साहू ढाबा के सामने रोड में रोककर चालक एवं खलासी को नीचे उतारकर ठंडा हाथ मुक्का से मारपीट कर चालक के पैकेट से पर्स को लूट कर लेना और खलासी की एक नग मोबाइल को लूट कर भागना बताये। आरोपीगण बताये कि पर्स में रखे 1,000 रू. को विकास उर्फ गोलू अपने पास रखना एवं लूट के मोबाइल को महावीर सोनवानी अपने पास रख लिया था, रास्ते में पर्स को फेंक दिये। आरोपियों के कबूलनामे के बाद आरोपियों के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सीजी 13 एपी 7946 एवं लूट की 1 नग मोबाइल आसुस कंपनी कीमती 12,000 रू. एवं 1000 रू. की जब्ती की गई है। आरोपी (1) महावीर सोनवानी पिता राहुलचंद्र सोनवानी उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 04 घरघोड़ा जिला रायगढ़ (2) विकास उर्फ गोलू पिता ललित सिंह नेताम उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 2 ब्लॉक कॉलोनी घरघोड़ा को लूट के अपराध में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480